94

संख्या 1383 /उन्तीस(2)/11-2(108पे0)/2011

प्रेषक,

जी0बी0 ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 24 दिसम्बर, 2011

विषय :- **जनपद ऊधमसिंहनगर के जसपुर विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2246/यांत्रिक अनुभाग-हैण्डपम्प/30 दिनांक 19.09.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ऊधमसिंहनगर के जसपुर विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु गठित प्राक्कलन ₹ 44.88 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 36.96 लाख (₹ छत्तीस लाख छियानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

3- स्वीकृत किये जा रहे हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन शासनादेश संख्या 1016/उन्तीस/05-2-पे0/2005 दिनांक 15.05.2005 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद स्तर पर मा0 सासद, मा0 विधायकगण, सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता, जिला पंचायत के प्रतिनिधि एंव मुख्य विकास अधिकारी को सम्मिलित कर समिति गठित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर मा0 विधायकगणों की संस्तुति उपरान्त निर्धारित कर ली जाय। धनराशि का व्यय अनुमोदित स्थलो/कार्यो पर ही किया जायेगा। ऐसे कार्यो पर धनराशि कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नही है अथवा जो विवाद ग्रस्त है।

4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक अथवा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों एव विस्तृत आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- कार्य की समयबद्धता एंव गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय। गुणवत्ता हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर उक्त तिथि तक उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं धनराशि के उपयोग का विवरण मासिक रूप से भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

.....2

7– स्वीकृत किये जा रहे हैण्डपम्प ऐसे स्थानों पर कदापि नहीं लगाये जायेंगे जहाँ पर पूर्व में हैण्डपम्प अधिष्ठापित हो।

8– कार्य करते समय/व्यय करने से पूर्व अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों की अनुपालना कर की जायेगी।

9– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–आयोजनागत –102–ग्रामीण जलपूर्ति–03–ग्रामीण पेयजल सेक्टर–00–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 858/XXVII (2)/2011 दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव

पृ0सं0 1383(i)/उन्तीस(2)/11–2(108पे0) /2011 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य अभियन्ता (कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, नैनीताल।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 पेयजल मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड शासन।
9. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–2/वित्त बजट सेल/नियोजन प्रकोष्ठ।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
13. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव